न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 09/2019
दायर दिनांकः 22.04.2019
निर्णय दिनांक 28.11.2025

—: अनवान :—

1. श्रीमती रमीला पत्नी श्री धनराज जी गन्ना, जाति महाजन, उम्र 33 वर्ष, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द
2. श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री पवन कुमार जी, जाति महाजन, उम्र 33 वर्ष, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

— निगराकारगण

बनाम

श्री मुकेश कुमार पिता श्री रोशनलाल जी, जाति महाजन, उम्र 33 वर्ष, निवासी भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द

— गैर निगराकार

निगरानी विरूद्ध पट्टा संख्या 78 दिनांक 05/11/2017 ग्राम पंचायत भीम, अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितः—

1— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अप्रार्थी/गैर निगराकार संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी याचिका राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य पट्टा संख्या 78 अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। निगराकार श्रीमती रमीला ने राजस्व ग्राम भीम, तहसील भीम के आराजी संख्या 10515/ 9900 में से 437.5 वर्ग फीट भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय कर दिनांक 03.07.2015 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया। निगराकार श्रीमती रमीला द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के पड़ोस इस प्रकार है :— पूर्व में :— रेखा बाई का प्लॉट, पश्चिम में :— केसरियानाथ मार्ग भीम, उत्तर में :— नवीन कुमार का प्लॉट एवं दक्षिण में :— महावीर विद्या मन्दिर स्कूल है। इसी प्रकार निगराकार श्रीमती रेखा ने राजस्व ग्राम भीम, तहसील भीम के आराजी संख्या 10515/9900 में से 437.5 वर्ग फीट भूमि जरिये विक्रय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पत्र क्रय कर दिनांक 03.07.2015 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया। निगराकार श्रीमती रेखा द्वारा क्रय किये गये भूखण्ड के पड़ोस इस प्रकार है :– पूर्व में भावना बाई का प्लॉट, पश्चिम में रमीला बाई का प्लॉट व रास्ता, उत्तर में बसन्ता बाई का प्लॉट एवं दक्षिण में महावीर विद्या मन्दिर स्कूल उक्त वर्णित दोनो भूखण्ड राजस्व ग्राम भीम की आबादी भूमि में स्थित है और दोनों भूखण्डों का पट्टा ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री कंवरलाल जी महाजन के पक्ष मे दिनांक 21.07.2014 को जारी किया धा और उक्त पट्टे का दिनांक 10.09.2014 को उप पंजीयक कार्यालय भीम के यहां पंजीयन किया गया। निगराकार संख्या 1 व 2 ने उक्त वर्णित भूखण्ड उक्त श्री प्रकाश चन्द्र से ही जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर भूखण्डों का कब्जा प्राप्त किया और तब से उक्त भूखण्डों पर निगराकार उक्त विक्रय पत्रों में वर्णित अनुसार काबिज है। दिनांक 05.11.2017 को विपक्षी संख्या एक ने राजस्व ग्राम भीम की आराजी संख्या 10515/9900 में 1495.5 वर्ग फीट भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भीम से जारी करवा लिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टे में निगराकार संख्या 01 व 02 के भूखण्डों का क्षेत्रफल शामिल कर दिया गया है, अर्थात निगराकारान के भूखण्डों को शामिल करते हुए उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने जो पट्टा प्राप्त किया है, उसमें निगराकारान की भूमि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने 1495.5 फीट भूमि का पट्टा बनवा लिया, जबकि मौके पर विपक्षी संख्या 01 के पास इतनी भूमि उपलब्ध ही नहीं है, इस प्रकार विपक्षी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवा दिया है। विपक्षी संख्या 01 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टा निगराकारान के हक अधिकारों के मुकाबले अवैध एवं विधि विरुद्ध होकर काबिल खारिज है। ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे की भूमि का पुनः दूसरा पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर अवैध पट्टा जारी करवा लिया है। कानूनन विपक्षी को अपनी भूमि का ही पट्टा जारी कराने का अधिकार है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी के हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया है। विपक्षी के नाम पर जारी उक्त अवैध पट्टे की पूर्व में जानकारी नहीं होने के कारण पुर्व में आप न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। विधिक आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना है कि निगराकारान की निगरानी विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.11.2017 खारिज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना लगातार पेशी पर अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 12.08.2025 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा पारित की गयी। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी की धारा 5 के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण सन्तोषप्रद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आलोच्य पट्टा संख्या 78 अवैध, विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त है। निगराकार श्रीमती रमीला ने राजस्व ग्राम भीम, तहसील भीम के आराजी संख्या 10515/9900 में से 437.5 वर्ग फीट भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय कर दिनांक 03.07.2015 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया। इसी प्रकार निगराकार श्रीमती रेखा ने राजस्व ग्राम भीम, तहसील भीम के आराजी संख्या 10515/9900 में से 437.5 वर्ग फीट भूमि जरिये विक्रय पत्र क्रय कर दिनांक 03.07.2015 को विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया। उक्त वर्णित दोनो भूखण्ड राजस्व ग्राम भीम की आबादी भूमि में स्थित है और दोनों भूखण्डों का पट्टा ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री कंवरलाल जी महाजन के पक्ष मे दिनांक 21.07.2014 को जारी किया था और उक्त पट्टे का दिनांक 10.09.2014 को उप पंजीयक कार्यालय भीम के यहां पंजीयन किया गया। निगराकार संख्या 1 व 2 ने उक्त वर्णित भूखण्ड उक्त श्री प्रकाश चन्द्र से ही जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर भूखण्डों का कब्जा प्राप्त किया और तब से उक्त भूखण्डों पर निगराकार उक्त विक्रय पत्रों में वर्णित अनुसार काबिज है। दिनांक 05.11.2017 को विपक्षी ने राजस्व ग्राम भीम की आराजी संख्या 10515/9900 में 1495.5 वर्ग फीट भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत भीम से जारी करवा लिया। इस प्रकार विपक्षी के पक्ष में ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टे में निगराकार संख्या 01 व 02 के भूखण्डों का क्षेत्रफल शामिल कर दिया गया है, अर्थात निगराकारान के भूखण्डों को शामिल करते हुए उक्त पट्टा जारी कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने जो पट्टा प्राप्त किया है, उसमें निगराकारान की भूमि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। विपक्षी संख्या 01 ने 1495.5 फीट भूमि का पट्टा बनवा लिया, जबकि मौके पर विपक्षी संख्या 01 के पास इतनी भूमि उपलब्ध ही नहीं है, इस प्रकार विपक्षी ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवा दिया है। विपक्षी संख्या 01 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का पट्टा जारी करवाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे की भूमि का पुनः दूसरा पट्टा जारी करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। विपक्षी ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर अवैध पट्टा जारी करवा लिया है। जो काबिले निरस्त होने योग्य हैं। अतः प्रार्थना है कि निगराकारान की निगरानी विरूद्ध विपक्षी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.11.2017 खारिज करने का आदेश फरमावें।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/निगराकार द्वारा निगरानी याचिका राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.11.2017 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्री प्रकाश चन्द्र पिता श्री कंवरलाल जी महाजन के पक्ष मे दिनांक 21.07.2014 को जारी किया था और उक्त पट्टे निगराकारगण श्रीमती रमीला और श्रीमती रेखा बाई को जरिये

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2014 को उप पंजीयक कार्यालय भीम के यहां पंजीयन किया गया। और अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार ने इन पट्टो की भूमि को शामिल करते हुए अपने नाम पर पुनः एक पट्टा ग्राम पंचायत भीम से दिनांक 05.01.2017 को जारी करा लिया। अतः ग्राम पंचायत भीम द्वारा जारी पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.01.2017 को निरस्त किया जावें।

हमने अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भीम की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सभी प्रपत्र भरे हुए होकर लगे हुए है। जिन पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं है, पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है, ग्राम पंचायत की कोई मोहर नहीं है, सरपंच तस्दीक नहीं है, तथा यहां तक की आवेदन पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर भी नहीं है तथा जो कार्यालय कार्यवाही विवरण है वो भी पूर्णतया खाली है उस पर भी किसी प्रकार के सरपंच/सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

अतः यहां अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत भीम की पत्रावली के अवलोकन से ही जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा जो विवादित पट्टा 78 दिनांक 05.11.2017, जो विपक्षी के पक्ष में जारी किया गया है। उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुए जारी किया गया है। अतः ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी श्री मुकेश कुमार के पक्ष में जारी विवादित पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.11.2017 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 78 दिनांक 05.01.2017 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति मय ग्राम पंचायत की मूल पट्टा पत्रावली नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद